



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2012/फाल्गुन 9, 1933

No. 80]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2012/PHALGUNA 9, 1933

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

( उच्चतर शिक्षा विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2012

**सा.का.नि. 108(अ).**—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 24 की उप-धारा 2 के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां) संशोधन नियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 2005 की अनुसूची में क्रम संख्या '1' तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 7-6/2005-एमसी (पी)]

अमित खरे, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :-** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 22 सितम्बर, 2005 के सा.का.नि. 632(अ), द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2012

**G.S.R. 108(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with clause (b) of sub-section (2), of Section 24 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Commission for Minority Educational Institutions (Financial and Administrative Powers) Rules, 2005, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Commission for Minority Educational Institutions (Financial and Administrative Powers) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Commission for Minority Educational Institutions (Financial and Administrative Powers) Rules, 2005, serial number '1' and the entry relating thereto shall be omitted.

[F. No. 7-6/2005-MC (P)]

AMIT KHARE, Jt. Secy.

**Note :—**The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i) vide G.S.R. 632(E), dated 22nd September, 2005.